कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फोरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 258 / 1जी–FP/UK/ROAD/9686/2015 देहरादूनः दिनांकः 20 जुलाई, 15 2015

सेवा में,

अपर सचिव, वन
उत्तराखण्ड शासन

विषयः–जनपद बागेश्वर में जल्थाकोट चमड़थल किमोली मोटर मार्ग निर्माण हेतु – 3.115 है0 वन भूमि हस्तांतरण FP/UK/ROAD/9686/2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव संस्तुति सहित शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है जिसकी हार्ड कॉपी आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर विशेष पत्रवाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है। प्रस्ताव में प्रति है0 50 से अधिक अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण सहमति की दशा में प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0टी0एस0लेप्चा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

संख्या : / 1जी–FP/UK/ROAD/9686/2015 तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, नैनीताल।
3. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
4. अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग / पी0एम0जी0एस0वाई, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग।
7. अधिशासी अभियंता, प्रा0ख0, लो0नि0वि, बागेश्वर।

(एस0टी0एस0लेप्चा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना का नामः

जनपद बागेश्वर में जल्थाकोट चमड़थल किमोली मोटर मार्ग निर्माण हेतु – **3.115 है0 वन भूमि हस्तांतरण FP/UK/ROAD/9686/2015**

1. **टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):**

उपरोक्त योजना हेतु बागेश्वर वन प्रभाग में गुरना कक्ष सं0 3 में 0.385 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.875 है0 पंचायती वन भूमि तथा 1.855 है0 सिविल वन भूमि कुल 3.115 है0 वन भूमि का हस्तांतरण प्रस्तावित है जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु उपरोक्त वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग तथा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की है। अतः जनहित में, प्रस्ताव में प्रति है0 50 से अधिक अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षरः [signature]

नाम व पदनामः (एस0टी0एस0लेप्चा भा.व.से)
अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण
एवं
नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

सरकारी मोहर: [stamp: ...र प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,उत्तराखण्ड, देहरादून]

तिथि : 20 / 07 / 2015
स्थानः देहरादून

भाग–III

जल्थाकोट–चमड़थल–किमोली मोटर मार्ग निर्माण – 8.00 किमी0

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14– स्थल, जहॉ की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हॉ / नही) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	हॉ। स्थलीय निरीक्षण पूर्व में तत्कालीन वन संरक्षक द्वारा दिनांक 03.03.2014 को किया गया है और प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की गयी है। निरीक्षण आख्या संलग्न है **(संलग्नक–1)**।
15– क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भागः ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	ऑन–लाइन प्रस्ताव में पूर्व में **पार्ट–2 में** सूचित वृक्षों की संख्या में भिन्नता होने के कारण इस कार्यालय के **पत्रांक 1897 / 12–1 दिनांक 20.02.2015** से लगायी गयी आपत्ति के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर द्वारा अपने पत्रांक **2663 / 12–1 दिनांक 24.02.2015** द्वारा प्रस्तुत संशोधित सूचना एवं स्पष्टीकरण के आलोक में सहमति व्यक्त की जाती है। **इस कार्यालय की उक्त सूचित आपत्ति व प्रभागीय वनाधिकारी का उक्त स्पष्टीकरण संलग्न है (संलग्नक–2 व 3)।**
16– प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे मे सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	जनहित में स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है। प्रतिबन्ध यह होगा कि प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित होने **वाले 0–10 व 10–20 व्यास** श्रेणी के सभी वृक्षों का प्रस्ताव विभाग द्वारा स्वयं के व्यय से निकटवर्ती उपलब्ध रिक्त क्षेत्रों में प्रत्यारोपण किया जायेगा तथा प्रत्यारोपित वृक्षों की सुरक्षा हेतु आवश्यक समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।

दिनांकः– 26.02.2015
स्थानः– अल्मोड़ा।

(संतोष विजय शर्मा)
वन संरक्षक
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

परियोजना का नामः— राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जल्थाकोट— चमड़थल—किमोली मोटर मार्ग का निर्माण।

(19)

बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण—पत्र

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जल्थाकोट—चमड़थल—किमोली मोटर मार्ग लम्बाई 8 कि0मी0 के निर्माण हेतु 3.115 है0 वन भूमि के हस्तान्तरण हेतु मेरे द्वारा दिनांक 03/3/2015 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 7 मीटर चौड़ाई में पातन होने वाले बांज वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :—

कसं	ब्लाक	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
			0.10	10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80 से अधिक	
1	जल्थाकोट नाप	बांज	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3
2	जल्थाकोट सिविल	बांज	—	8	6	1	1	—	—	—	—	16
3	जल्थाकोट वनपंचायत	बांज	—	4	5	—	—	—	—	—	—	9
4	बिन्तोली वनपंचायत (बिन्तोली)	बांज	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2
5	खोलाखेत वनपंचायत	बांज	—	4	10	7	2	2	—	—	—	25
6	सिमतोली (...) वनपंचायत (...)	बांज	—	10	4	3	1	—	—	—	—	18
7	किमोली नाप	बांज	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2
	कुल योग			29	28	12	4	2	—	—	—	75

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमायूँ वृत,
अल्मोड़ा

(मुहर: वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा)

वन क्षेत्राधिकारी
धरमघर क्षेत्र
बागेश्वर वन प्रभाग

उपप्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

(मुहर: उप प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर)

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

(मुहर: प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर)

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
E-Mail : cfkumaon_north@rediffmail.com ☎ (05962) 231099 (05962) 230397 Fax 230397

पत्रांक क 1897 /12–1 दिनांक, अल्मोड़ा, 20.02.2015.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।

विषय :– जलथाकोट–चमड़थल–किमोली मोटर मार्ग निर्माण का प्रस्ताव।

संदर्भ :– आप द्वारा प्रेषित ऑन लाईन प्रस्ताव।

महोदय,

उक्त मार्ग के ऑन लाईन प्रेषित प्रस्ताव के आप द्वारा अंकित किये गये पार्ट–2 में प्रस्तुत सूचनाओं के अवलोकन करने पर निम्न स्थिति संज्ञान में आयी–

1. प्रपत्र के बिन्दु संख्या 4 में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या में सेमल–10, भिमल–4, बकेन–9 बॉज – 8, तून–6, चीड़–69, खड़िक–7, बहेड़ा–1 सादन–9, हरड–2 **कुल 125 वृक्ष** सूचित किये गये है जबकि इस प्रस्ताव से सम्बन्धित इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी हॉर्ड कॉपी **के प्रपत्र 15.4 में वन** भूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों की **कुल संख्या 220** सूचित की गयी है, जिसका व्यास श्रेणीवार विवरण निम्न प्रकार है–

10–20 व्यास श्रेणी	85
20–30 व्यास श्रेणी	71
30–40 व्यास श्रेणी	39
40–50 व्यास श्रेणी	16
50–60 व्यास श्रेणी	8
60–70 व्यास श्रेणी	1

2. इसके अतिरिक्त हार्ड–कॉपी में सूचित इन वृक्ष प्रजातियों में प्रभावित होने वाले बांज वृक्षों की संख्या 75 अंकित है जो कि मुख्यतः 20–30, 30–40, 40–50, 50–60, 60–70 व्यास श्रेणी के है, जबकि प्रपत्र–2 में आप द्वारा मात्र 10–20 व्यास श्रेणी के **कुल 8 बांज वृक्ष** सूचित किये गये है।

कृपया उक्त बिन्दुओ पर स्थिति स्पष्ट करें ताकि प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

भवदीय
20/2/2015

(संतोष विजय शर्मा)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊॅ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

"उत्तराखण्ड़ वन सदैव आपके संग"

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03@gmail.com
दूरभाष नं०– 05963-220249 फैक्स नं०– 05963-220209

पत्रांक 2663 / 12-1-2 बागेश्वर दिनांक : 24/ 2 /2015

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त
उत्तराखण्ड अल्मोडा।

विषय – **जलथाकोट–चमड़थल–किमोली मोटर मार्ग निर्माण का प्रस्ताव।**

सन्दर्भः– **आपका पत्रांक क 1897/12–1 दिनांक 20.02.2015**

महोदय,

उक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम पर अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाले वृक्षों की कुल संख्या 220 ही है। जिसका विवरण निम्नानुसार है निरीक्षण/गणना के अनुसार प्रभावित होने वाले बांज वृक्षों की संख्या 75 है।

10–20	व्यास श्रेणी	85
20–30	व्यास श्रेणी	71
30–40	व्यास श्रेणी	39
40–50	व्यास श्रेणी	16
50–60	व्यास श्रेणी	8
60–70	व्यास श्रेणी	1
		220

अतएव उक्तानुसार संशोधित स्पष्ट सूचनानुसार प्रस्ताव ऑनलाईन सेवा में प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय,

(एम0बी0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfobag-forest-uk@nic-in/dfobageshwar03gmail.com
दूरभाष नं0:– 05963-220249 फैक्स नं0:– 05963-220209

पत्रांक 230 / 12-1-2 बागेश्वर दिनांक : 15/07 /2015।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड,अल्मोड़ा।

विषय :– जल्थाकोट–चमड़थल–किमोली मोटर मार्ग निर्माण का प्रस्ताव (प्रस्ताव संख्या 9686/2015)
संदर्भ :– आपका पत्रांक– 2331/12–1 दिनांक 17.04.2015।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में आपको अवगत कराना है कि इस कार्यालय से आनलाईन , जल्थाकोट–चमड़थल–किमोली मोटर मार्ग निर्माण का प्रस्ताव पर आपके द्वारा लगायी गयी आपत्ति के आधार पर इस कार्यालय से अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 बागेश्वर को प्रेषित किया गया था। उनके द्वारा आपत्ति का निराकरण कर निम्नानुसार सूचित किया गया है। प्रस्तावित मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाली वन पंचायतों का अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न प्रकार प्रेषित किया गया है।

1. जल्थाकोट वन पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र
2. किमोली वन पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र
3. बिन्तोली खोलाखेत वन पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र

अतएव अनुरोध है कि प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एम0बी0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

वन पंचायत जलथाकोट की बैठक कार्यवाही

दिनांक 29/06/15 को वन पंचायत जलथाकोट की बैठक हुई जिसमें लालनगरी, जलथाकोट, पिंगलेटी मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। मोटर मार्ग के समरेखण में वन पंचायत की भूमि आ रही है। उक्त भूमि का प्रस्ताव ऑनलाईन हो चुका है। जिस पर नोडल अधिकारी कार्यालय द्वारा वन पंचायत की अनापत्ति प्रमाण–पत्र बैठक में पारित प्रस्ताव की प्रति सहित भेजने को लिखा गया है।

आज दिनांक 29/06/15 को वन पंचायत जलथाकोट की आम बैठक की गयी, जिसमें उक्त सम्बन्ध में ग्रामवासियों एवं वन पंचायत सदस्यों के साथ चर्चा की गयी। सर्व सम्मति से यह राय व्यक्त की गयी कि मोटर मार्ग का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है, अतः मोटर मार्ग निर्माण में आने वाली वन पंचायत भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरित करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया तथा सरपंच महोदय को अधिकृत किया गया कि उक्त प्रस्ताव की एक प्रति अधिशासी अभियन्ता महोदय प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर को त्वरित कार्यवाही हेतु भेजा जाय।

दिनांक :– 29/06/2015
स्थान :– जलथाकोट

ह0– [signature]
सरपंच व0पं0 29/06/15

प्रतिलिपि. अधिशासी अभियन्ता, महोदय प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,बागेश्वर को सूचनार्थ एवं तत्काल कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सरपंच,
वन पंचायत जलथाकोट
ह0. सरपंच.....
सरपंच – [signature]

उपस्थित सदस्य वन पंचायत

1. मदन राम — मदन राम
2. गणेश राम (प्रधान) — नीमा देवी
3. देवी दत्त उपाध्याय — देवीदत्त
4. महेश चन्द्र तिवारी (वार्ड मेम्बर) — महेश चन्द्र
5. कैलाश चन्द्र तिवारी (पूर्व वार्ड मेम्बर) — कैलाश चन्द्र तिवारी
6. माधवी देवी — माधवी देवी
7. सकली देवी — सकली देवी
8. हेमा तिवारी — हेमा तिवारी
9. मीरा तिवारी — मीरा तिवारी

Covering Letter

2.24.1

वन पंचायत किमोली की बैठक कार्यवाही

दिनांक 30/06/15 को वन पंचायत किमोली की बैठक हुई जिसमें सातनौरा, लखनी किमोली मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। मोटर मार्ग के समरेखण में वन पंचायत की भूमि आ रही है। उक्त भूमि का प्रस्ताव ऑनलाईन हो चुका है। जिस पर नोडल अधिकारी कार्यालय द्वारा वन पंचायत की अनापत्ति प्रमाण–पत्र बैठक में पारित प्रस्ताव की प्रति सहित भेजने को लिखा गया है।

आज दिनांक 30/06/2015 को वन पंचायत किमोली की आम बैठक की गयी, जिसमें उक्त सम्बन्ध में ग्रामवासियों एवं वन पंचायत सदस्यों के साथ चर्चा की गयी। सर्व सम्मति से यह राय व्यक्त की गयी कि मोटर मार्ग का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है, अतः मोटर मार्ग निर्माण में आने वाली वन पंचायत भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरित करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया तथा सरपंच महोदय को अधिकृत किया गया कि उक्त प्रस्ताव की एक प्रति अधिशासी अभियन्ता महोदय प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर को त्वरित कार्यवाही हेतु भेजा जाय।

महेश सिंह

दिनांक :– 30/06/2015

स्थान :– किमोली

ह0– [stamp]
सरपंच

प्रतिलिपि. अधिशासी अभियन्ता, महोदय प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,बागेश्वर को सूचनार्थ एवं तत्काल कार्यवाही हेतु प्रेषित।

महेश सिंह
सरपंच
महेश सिंह नगरकोटी

उपस्थित सदस्य वन पंचायत

1. दीपक सिंह – दीपक सिंह
2. मोहन सिंह – मोहन सिंह
3. बची सिंह – बची सिंह
4. रवीन सिंह – रवीन सिंह
5. जगत सिंह (पूर्व सरपंच) – Jagat Singh
6. खिमुली देवी – खिमुली देवी

2.24.1

वन पंचायत बिचलतोली की बैठक कार्यवाही

खोलाखेत बिचलतोली

दिनांक 30/06/2015 को वन पंचायत खोलाखेत की बैठक हुई जिसमें सातनौला सल्लाकोट बिचलतोली मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। मोटर मार्ग के समरेखण में वन पंचायत की भूमि आ रही है। उक्त भूमि का प्रस्ताव ऑनलाईन हो चुका है। जिस पर नोडल अधिकारी कार्यालय द्वारा वन पंचायत की अनापत्ति प्रमाण–पत्र बैठक में पारित प्रस्ताव की प्रति सहित भेजने को लिखा गया है।

आज दिनांक 30/06/15 को वन पंचायत बिचलतोली की आम बैठक की गयी, जिसमें उक्त सम्बन्ध में ग्रामवासियों एवं वन पंचायत सदस्यों के साथ चर्चा की गयी। सर्व सम्मति से यह राय व्यक्त की गयी कि मोटर मार्ग का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है, अतः मोटर मार्ग निर्माण में आने वाली वन पंचायत भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरित करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया तथा सरपंच महोदय को अधिकृत किया गया कि उक्त प्रस्ताव की एक प्रति अधिशासी अभियन्ता महोदय प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर को त्वरित कार्यवाही हेतु भेजा जाय।

दिनांक :– 30/6/2015
स्थान :– बिचलतोली, खोलाखेत

ह0– मोहन राम
सरपंच व0पं0

प्रतिलिपि, अधिशासी अभियन्ता, महोदय प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,बागेश्वर को सूचनार्थ एवं तत्काल कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सरपंच

उपस्थित सदस्य वन पंचायत

1. हरीश चन्द्र (पूर्व सरपंच) — Harish
2. देवन चन्द्र — देवन चन्द्र
3. बहादुर राम — बहादुर राम
4. जोगा राम (उपसरपंच) — जोगा राम
5. जगत राम (वार्ड मेम्बर) — जगत राम
6. रेवती राम — रेवती राम
7. गुसाईं राम — गुसाईं राम
8. देव राम — देव राम

(62)

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF
(For the forest land to be diverted under FCA)

A Proposal has been received by this office from. अधिशासी अभियन्ता ग्रा .....निर्माण विभाग बागेश्वर. Uttarakhand for diversion under FCA-1980 of 3.115...ha. of forest land non foresty purpose. The project envisages the use of forest land for construction of. जलथाकोट....चचम्ह पतौ..कोलली मोटर मार्ग..निर्माण.The site inspection of the land ivolved in the proposal has been done by me on dated....24.11.2013...

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/ PF/ Un- classed/ Protected forest measuring.3.115..ha.

The reuirement of forest land as proposed by the user agency in col.2 part I is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare/ endangered/ uique species of flora and funa found in the area. if, so the details there of. No

Whether any protected archeological/ heritage site / defence establishment or any other important monuments is located in the area. if so, the details there of with NOC from competent authority, if required. No

✓ (a) The user agency has not violated the provisions of forest Conservation act 1980 and no work has been started without proper sanction. Yes

✗ (b) It has been found that the user agency has violated the forest conservation act 1980 provisios. A detail report as per para 1.9 of chapter 1. Para C of Hand book of forest Conservation Act 1980 is attached.

Specific recommendation for acceptance of other wise of the proposal.

स्वीकृति की संस्तुति की जाती है।

Place बागेश्वर
Date 24.11.2013

Signature
Name........प्रभागीय वनाधिकारी
Designation...बागेश्वर वन प्रभाग
Office Seal, बागेश्वर

N.B. x State the purpose of which the forest land is proposed to be diverted,
x Out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2-2000 FC dated 16.10.2000 from Ministry of Environment and Forest, Government of India of Proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection from the conservator of forest is required.

13

परियोजना का नामः—राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जल्थाकोट—चमड़थल—किमोली मोटर मार्ग का निर्माण।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण—पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 30.09.2009 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री गोविन्द प्रसाद...वन क्षेत्र अधिकारी, राजस्व विभाग की ओर से श्री...अमर नाथ...... पटवारी प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री के.के.पांडे, सहायक अभियंता एवं श्री संजयसिंह नयाल कनिष्ट अभियंता द्वारा भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि 0.385 है0, सिविल एवं सोयम वन भूमि 1.855 है0, वन पचायत भूमि 0.875 है0 कुल 3.115 है0 वन भूमि एवं 2.485 है0 नाप भूमि प्रभावित होती है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है।

आवेदित वन भूमि में जिन वृक्षों का पातन किया जाना है उनकी सूची संलग्न है।

(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना है)

(संजयसिंह नयाल)	( )	(गोविन्द प्रसाद)
कनिष्ट अभियंता	पटवारी,	वनक्षेत्र अधिकारी
(प्रयोक्ता एजेन्सी)	राजस्व विभाग प्रतिनिधि	वन विभाग प्रतिनिधि

(के.के.पांडे)	तहसीलदार	अधिशासी अभियंता
सहायक अभियंता	बागेश्वर जि० बागेश्वर	प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0		बागेश्वर
बागेश्वर		

प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर

प्रतिहस्ताक्षर

उप जिलाधिकारी, बागेश्वर

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी

PART-II

(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forest)

State Serial No. of proposal : UK-0131/2015

1. **Location of the project/Scheme :** Uttarakhand

   (i) **State / Union Territory :** Uttarakhand
   (ii) **District :** Bageshwar
   (iii) **Forest Division :** Bageshwar
   (iv) **Area of forest land proposed for diversion (in ha.) :** 3.115
   (v) **Category :** Road

2. **Legal status of forest land proposed for diversion :**

S. No.	Division	Forest Land(ha.)	Legal Status
1	Bageshwar	1.855	Civil Soyam land
2	Bageshwar	0.385	Reserved Forest
3	Bageshwar	0.875	Protected Forest

Division 1. : Bageshwar

3. **District wise area to be diverted in the division :**

S. No.	District	Area(ha.)
1	Bageshwar	3.115

4. **Details of Vegetation available in the forest land proposed for diversion :**

   (ii) **Density of vegetation**

S. No.	Area(in ha.)	Density	Eco-Class
1	3.115	0.3	Eco 5

S. No.	Scientific Name	Local Name	(31-60)cm.	(61-90)cm.	(91-120)cm.	(121-150)cm.	(>150)cm.
1	Juglans regia	Akhroat				1	
2	Pinus roxburghii	Chir		36	39	27	18
3	Quercus leucotricophora	Baaj		29	28	12	6
4	Grewia optova	Bhimal		2	3		
5	Ficus roxburghii	Timal		7	1		
6	Rhododendron arboreum	Dadim		1			
7	Rhododendron arboreum	Dadim		1			
8	Bauhinia Parviflora			10			

5. **Working plan prescription for the forest land proposed for diversion :** No Data

6. **Brief note on vulnerability of the forest area to erosion :** This Road will be Kargil Shahid Late of Mohan sing

7. **Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest(in km.) :** 8.00

8. **Significance of the forest land proposed for diversion from wildlife point of view :**

   (i). **Details of wildlife present in and around the forest land proposed for diversion :** NA
   (ii). **Whether forms part of national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve,tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration co** No
   (iii). **Whether the forest land proposed for diversion is located within eco-sensitive zone(ESZ) of the Protected Area notified under Wildlife(Protection) Act,1972 (Note: In case, ESZ of a Protected Area is not notified,then,10kms distance from boundary of the Area should be treated as ESZ):** No
   (iv). **Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor e within 1 Km. from boundary of the forest land proposed for diversion :** No
   (v). **Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area :** No

9. **Details of any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument located in the area, if any :**

   (i). **Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area :** No

10. **Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion :**

(i). **Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project :** Yes

11. **Details of violation(s), if any ,committed :**

(i). **Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out :** No

12. **Whether work in violation is still in progres(Yes/No) :** No Data

13. **Details of compensatory afforestation scheme :**

(ii). **Total Financial Outlay for C.A:** 8.21900

(iii). **Whether the land identified by User Agency is suitable for CA and from managementpoint of view?:** Yes

(iv). **Copy of certificate regarding suitability of land identified for CA and from management point of view:** Annexure regarding suitability of land

(v). **Copy of detailed CA scheme including species to be planted,implementing agency,time schedule,cost structure etc.:** Annexure CA scheme including species to be planted

14. **District Profile :**

S.no	District Name	Geographical area of the district (in ha.)	Forest area of the district (in ha.)	Total forest area diverted since 1980 (in ha.)	No. of Approved Cases	Forest Land including penal C.A. (in ha.)	Progress of compensatory afforestation as on(date)	A) Forest land (in ha.)	B) Non-forest land (in ha.)
1	Bageshwar	231000	107400	620.3939	355	1315.278	18/02/2015	1081.006	234.272

15. **Site inspection report of the DFO/CCF/Nodal Officer highlighting important facts pertaining to the forest land :**

Division Name	Circle	Site inspected By	Whether site inspected	No. of times site visited	Site inspection report	Date of visit
Bageshwar	North Kumaun	DFO	Yes	One	Site Inspection Report	13/02/2015
	North Kumaun	CF	No		No Data	

(Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer with(Part II,III & Part IV))

16. **Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer for acceptance or otherwise of the proposal with reason :**

Division	Circle	Recommendation By	Recommendation	Reason	Letter	Whether CF agreed
Bageshwar	North Kumaun	DFO	Recommended		Recommendation letter	
	North Kumaun	CF	Recommended	The Proposal is in Public Interest. As per Proposal a population of 1062 of 5 villages will be benefited, hence recommended.	Recommendation letter	Yes

Print page

FORM - A

Form for seeking prior approval of Central Government under section 2 of the Forest(Conservation) Act,1980 for Diversion of fresh forest area

PART - I

(To be filled up by User Agency)

A. General Details

A-1. Project Details

(i). Proposal No. : FP/UK/ROAD/9686/2015

(ii). Name of Project for which Forest Land is required : Jalthakot-Chamarthal-Kimoli motor road in District-Bageshwar (Kargil Sahid Sri Mohan Singh Nagarkoti Memorial motor road)

(iii). Short narrative of the proposal and Project/scheme for which the forest land is required : Proposal for division of 3.115ha. forest land for construction of motor road.

(iv). State : Uttarakhand

(v). Category of the Project : Road

(vi). Shape of forest land proposed to be diverted : Linear

(vii). Estimated cost of the Project(Rupees in lacs) : 142

(viii). Total Area of Forest Land proposed for diversion(in ha.): 3.115

(ix). Total Area of Non-Forest Land proposed for diversion(in ha.): 2.485

(x). Total period for which the forest land is proposed to be diverted(in years): NIL

A-2. Details of User Agency

(i). Name : PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR

(ii). Address1 : Provincial Division PWD Bageshwar

(iii). Address2 : NIL

(iv). State : Uttarakhand

(v). District : Bageshwar

(vi). Pin : 263642

(vii). Landmark : Kathayatbara

(viii). Email address : pdpwdbgr@gmail.com

(ix). Landline Telephone No. : 220006

(x). Fax No. : NIL

(xi). Mobile No. : 9412023055

(xii). Website (if any) : NIL

(xiii). Details of Proposals seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land submitted by the User Agency in the past : No

(xiv). Legal status of User Agency : State Government

A-3. Details of Person Making Application

(i). First Name: Mahendra

(ii). Middle Name: NIL

(iii). Last Name: Kumar

(iv). Gender: Male

(v). Designation: Executive Engineer

(vi). Address 1: Provincial Division PWD Bageshwar

(vii). Address 2: NIL

(viii). State: Uttarakhand

(ix). District: Bageshwar

(x). Tehsil: Bageshwar

(xi). Pin: 263642

(xii). Landmark: Kathayatbara

(xiii). Email Address: pdpwdbgr@gmail.com

(xiv). Landline Telephone No.: 220006

(xv). Fax No.: 05963220006

(xvi). Mobile No.: 9412023055

(xvii). Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency: Annexure U.A Document

B. Details of land required for the Project

B-1. Details of proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land for the Project already submitted in the past

(i). Whether any proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land required for the project has been submitted in the past?. : No

B-2. Details of forest land proposed to be diverted

B-2.1 Details of Divisions involved

Details of Divisions involved			
S.no	Division Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Bageshwar	3.115	2.485

B-2.2 Details of Districts involved

District wise breakup			
S.no	District Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Bageshwar	3.115	2.485

B-2.3 Village wise breakup

Villages wise breakup			
S.no	Village	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	Jalthakot	0.385	1.05
2	Bintoli	0.35	0.735
3	Kholakhet	1.015	0.105
4	Kimoli	0.98	0.595
5	Gurna (RF)	0.385	0

B-2.4 Component wise breakup

Component wise breakup			
S.no	Component	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	Road	3.115	2.485

C. Maps of forest land proposed to be diverted

Division 1. : Bageshwar

(i). Area of forest land proposed to be diverted(in ha.) : 3.115

(ii). : Linear

(b). No. of Segments : One

Segment wise details		
Segments	Segment Area(in ha.)	Kml File of Segments
1.	3.115	Annexure Segment1

(iii). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted: Annexure Survey of India Toposheet

(iv). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total Station: Annexure scanned copy of the Geo-referenced map

D. Justification for locating the Project in forest land and details of alternatives examined:

(i). Copy of note containing justification for locating the Project in forest land : Annexure Justification

(ii). Whether a copy of map indicating location of alternative examine is required to be provided: Yes

(a). Copy of map indicating location of alternative examined: Annexure alternative examined

E. Employment likely to be generated

(i). Whether the Project is likely to generate employment ?: Yes

(ii). Permanent/Regular Employment(Number of persons): 5

(iii). Temporary Employment(Number of person-days): 160

F. Displacement of People due to the Project, if any

(i). Whether Project involves displacement?: No

G. Details of Cost-Benefit analysis for the Project

(i). Whether the Project requires Cost-Benefit analysis?: No

H. Status of Environmental Clearance

(i). Whether the Project requires Clearance under the Environment (Protection) Act 1986 ? : No

I. Status of Wildelife Clearance

(i). Whether the Project or a part thereof is located in any Protected Area or their Eco sensitive zone? : No

J. Applicability of special provisions governing Scheduled Areas

(i).Whether the Project or a part thereof is located in a Scheduled Area? : No

K. Status of settlement of rights under the Forest Rights Act,2006 on the forest land proposed to be diverted

(i). Whether the process for settlement of Rights under the Forest Rights Acts 2006 on the forest land proposed to be diverted has been completed? : Yes

(a). Copy of documentry evidence in support of settlement of rights under the Forest Rights Act,2006 on the forest land proposed to be diverted: Annexure Documentry Evidence

L. Details of land identified for Compensatory Afforestation

(i). Whether non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency?: Yes

(ii). Whether the area of non-forest land or Revenue forest land required to be provided by User Agency for raising Compensatory Afforestation is less than area of forest land propo ?: No

(iii). No. of districts involved for raising Compensatory Afforestation: 1

(iv). No. of patches: One

District 1. : Bageshwar

(a). Village: Nakuri

(b). Area(in ha.): 6.23

(c). Copy of KML file of the patch: Annexure Patch

(d). Khasra details: 1

(e). Present owner: User Agency

(f). Copy of Ownership proof: Annexure Copy of Ownership proof

(v). Scanned copy of the map of the land identified for creation of Compensatory Afforestation prepared by using GPS ot Total Station: Annexure GPS or Total Station

(vi). Copy of Survey of India Toposheet in 1:50,000 scale indicating location of the land identified for creation of Compensatory Afforestation: Annexure Survey of India Toposheet

Additional information Details

Documents

S.No	Documents		Remarks
1	Text	Additional Info.	Annexure-1

Print page